**भारत सरकार**
**गृह मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या 350**
**दिनांक 04 फरवरी, 2025/ 15 माघ, 1946 (शक) को उत्तर के लिए**

**डेटा गोपनीयता**

**†350. श्री सुदामा प्रसादः**

**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क) सरकार द्वारा नई केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के माध्यम से एकत्रित व्यक्तिगत जानकारी की डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है;**

**(ख) क्या सरकार का सीआरएस मोबाइल ऐप को अन्य सरकारी डेटाबेस जैसे 'आधार' के साथ एकीकृत करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;**

**(ग) क्या सरकार ने सीआरएस में पंजीकरण की प्रक्रिया को स्वैच्छिक रूप से सुनिश्चित किया है; और**

**(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?**

**उत्तर**

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री**
**(श्री नित्यानंद राय)**

(क): नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) के अंतर्गत व्यक्तिगत डेटा को नेटवर्क, एप्लिकेशन और सिस्टम सहित विभिन्न स्तरों पर संरक्षित किया गया है। CRS सिस्टम का नियमित सुरक्षा ऑडिट किया जाता है । साइबर हमलों, यदि कोई हों, से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी 24x7 सक्रिय निगरानी की जाती है। परीक्षण और विकास परिवेश में व्यक्तिगत जानकारी को मास्क कर दिया जाता है। होस्टिंग डेटा सेंटर ISO 27001:2022 के अनुरूप है।

(ख): CRS मोबाइल ऐप जन्म और मृत्यु की घटनाओं के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रारों के लिए विकसित किया गया है।

(ग) एवं (घ): जन्म और मृत्यु का पंजीकरण जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रिकरण अधिनियम, 1969 (2023 में संशोधित) के प्रावधानों के तहत अनिवार्य है।

*****